

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी  
कमांक/कोर्ट/2020/182 दिनांक 10/11/2020

प्रेषित:- तहसीलदार,  
बावडी।

विषय:- माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करने बाबत ।  
मु0 नं0 30/2019 उनवान परमेश्वरी बनाम शांति वंगेरह  
धारा 4 एक्ट निर्णय दिनांक 03/11/2020  
53,188 RTA।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय में विचारणीय राजस्व प्रकरण संख्या 30/2019 उनवान परमेश्वरी बनाम शांति वंगेरह धारा : 53,188 RTA। निर्णय दिनांक 03/11/2020 की निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न भिजवाई जा रही है ।

अतः आप अगर किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो, माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें ।  
संलग्न:- निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बावडी  
बावडी जिला-जोधपुर



अंतिम डिकरी व मुकदमे इन्तदाई

(अर्सेट 20, कल 6-7, अन्ता दालानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 1)

श्रीमती सुरमित्रा पारीक (RAS)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

परमेश्वरी

बनाम शांति वंगेर

पाषाण क्रमांक - 53/188 RT Act

दिनांक - 30/2019

मुकदमा नं. - 30/2019  
श्रीमती माणक राम माळी

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, उपम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि  
तहसीलदार बावडी से ग्राम आंधिया कला का प्रांत  
विभाजन प्रस्ताव खसरा नं. 72 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा  
एवं खसरा नं. 130 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरान  
को कुल रकबा 25 (पच्चीस) बीघा 03 (तीन) बिस्वा का स्वीकार  
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार खसरेदारान के  
खसरान का भलगा-अलग बरत नम्बर कायम कर राजस्व नं. 10  
तहसील को आवे एवं खसरेदारान के रास्ता बाबत समझौता नहीं रहे, इस  
को भी सुनिश्चित करें। विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय का भाग रहेगा।  
तहसीलदार बावडी को प्रालोकार्थ तहरीर जारी हो।

03-11-2020

दस्तावेज

ओहथा

(सुमित्रा पारीक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

S	रदायत नं. 53/188 RT Act सहायक कलेक्टर बावडी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी	S
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31/1/2020

पत्रावली पेशा हुई अधिवक्ता वादी  
उपस्थित। तहसीलदार जवाही से 28/01/2020  
को प्राप्त ग्राम नौदिया कला का विभाजन  
सहायक खसरा नं. 130 व 72 कुल खसरानु  
में एवं कुल रकबा 25 बीघा तीन बिघा  
का स्वीकृत किया जाता है। विभाजन सहायक  
अनुसार खातेदारान के खसरानु का  
अलग - 2 बर्रे नम्बर कायम कर राबख  
नम्बों में तहसील की जावे एवं खातेदारान  
के रास्ता बाबत समस्या न रहे, ये भी  
सुनिश्चित करें। विभाजन सहायक इस  
निर्णय एवं अंतिम डिक्री का आग रहेगा  
अंतिम डिक्री पची जारी हो। तहसीलदार  
जवाही को इस आशय की पालनाथ तहरीर  
जारी हो।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर  
से कम लेकर दायित्व दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
अपड अधिकारी, बागरी